

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल दक्षिण शहडोल के रकबा 15.549 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि एवं वन मंडल उमरिया के रकबा 65.041 हे. वन/राजस्व वनभूमि कुल 80.59 हेक्टेयर वन भूमि में शाहपुर पश्चिम कोल ब्लॉक अन्तर्गत भूमिगत कोयला उत्खनन एवं ऊपरी सतह पर मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को उपयोग पर देने हेतु वन्यजीवों के संरक्षण संबंधी शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 16.03.2023

स्थान: भोपाल

16/3/23
(अशोक कुमार)
अवर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)